

संख्या-1984/एक-10-2022-33(79)/2015 टीसी

प्रेषक,

प्रभु एन 0 सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

कौशाम्बी एवं बिजनौर

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक:25/10/2022

विषय:- जनपदों में तैनात आपदा विशेषज्ञों को मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-213/एक-11-2022-11(जी)/2017, दिनांक 11 मई, 2022 के क्रम में उक्त जनपदों के जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरणों में तैनात आपदा विशेषज्ञों के माह फरवरी, 2023 तक का मानदेय, ₹ 50,000/- प्रति माह के अनुसार दिये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-051 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2245-प्राकृतिक विपतियों के कारण राहत-80-सामान्य- 800-अन्य व्यय-07-जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत ₹ 6,99,999/- (₹ छः लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्नानवे मात्र) की धनराशि, निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नीचे दी गयी तालिका में उल्लिखित जनपदों के जिलाधिकारी के नियर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि (₹ में)
1	2	3
1	कौशाम्बी	4,24,999.00
2	बिजनौर	2,75,000.00
योग		6,99,999.00

(₹ छः लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्नानवे मात्र)

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।
- (2) जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा उक्त धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 के नियम-209 तथा चैप्टर-1 के संलग्नक-ए में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005 में उल्लिखित जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के प्राविधानों के अनुसार धनराशि का आहरण/व्यय किया जायेगा।

- (4) व्यय की गई धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जायेगा और महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
- (5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-359-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाय।
- (6) स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2 /1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04 मार्च, 2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2023 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 6,99,999/- (रु० छः लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखाशीर्षक 2245808000700 जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-13/ 2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Signed by प्रभु नारायण सिंह
Date: 25-10-2022 15:08:51
Reason: Approved
सचिव।

संख्या-1984/एक-10-2022-33(79)/2015 टीसी, तदिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- सम्बन्धित, मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- 7- सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-25/10/2022

प्रेषण संख्या:- 1984
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1984

अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
07 - जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

(धनराशि रु. में)

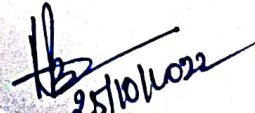
S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	बिजनौर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	275000 964000	275000 964000
2	कौशाम्बी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	424999 524999	424999 524999
	योग	वर्तमान प्रगामी	699999 1488999	699999 1488999

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-

रूपया छः लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे

महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया चौदह लाख अठासी हजार नौ सौ निन्यानवे


(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।